संख्या-25/2019-1057/58-2019-310/2015

प्रेषक

इन्दुबाला कटियार
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 04 जून 2019

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित हाइटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना की परियोजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में अवशेष धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि रू0-156.00 लाख (अनुदान सं0-11 में धनराशि रू0-52.00 लाख एवं अनुदान सं0-83 में धनराशि रू0-104.00 लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-41-42/**RKVY/Hi-Tech Nur.**/2019-20 दिनांक 23.05.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-517/12-3-2019-100(46)/2018 दिनांक 20.05.2019 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु अनुदान सं0-11 में रू0-52.00 लाख तथा अनुदान सं0-83 में रू0-104.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-156.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। कृषि अनुभाग-3 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 20.05.2019 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका में वर्णित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	परियोजना	जनपद	लेखाशीर्षक/मद	स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि
1	हाइटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना	मऊ	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के060/रा040-के0 + रा0)-0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें- (के060/रा040-के0 + रा0) 24-वृहद निर्माण कार्य	52.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			अनुदान सं0-83 लेखाशर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूजित जातियों के लिए विशेष घटक-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के060/रा040-के0 + रा0)-0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें- (के060/रा040-के0 + रा0) 24-वृहद निर्माण कार्य	52.00
2		हापुड़	अनुदान सं0-83 लेखाशर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूजित जातियों के लिए विशेष घटक-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के060/रा040-के0 + रा0)-0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें- (के060/रा040-के0 + रा0) 24-वृहद निर्माण कार्य	52.00
		योग		156.00

(रूपये-एक करोड़ छप्पन लाख मात्र)

भवदीया

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:25/2019-1057(1)/58-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0 उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी आर0के0वी0वाई0 निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0लखनऊ।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी उ0प्र0 द्वारा निदेशक।
(6) कृषि अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।